न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली–प्रार्थी

बनाम

श्री आशीष मित्तल पुत्र श्री गिर्राज मित्तल, गोपाल टाकीज, हिण्डौन, जिला–करौली– अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत् सीज्ड घरेलू गैस सिलेण्डर एक मय 3.5 किलो गैस को राजसात् करने।

निर्णय

दिनांक–27.03.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन श्री अमित कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्रांक एफ17(2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 26.03.2018 द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अवैध भंडारण एवं अन्तरण पर निर्बन्धन के प्रावधानों की पालना, अवमानना पर सतर्कता कार्यवाही एवं सुरक्षा मानकों के प्रचार प्रसार हेतु सुरक्षा पखवाडा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 मनाने एवं इसी क्रम में 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 की अवधि में सघन अभियान सुरक्षा पखवाडा चलाकर जिले में संचालित अवैध गतिविधियों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही करने हेतु गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 11.04.2018 तहसील हिण्डौन में नगरपरिषद हिण्डौन में श्री आशीष मित्तल पुत्र श्री गिर्राज मित्तल, गोपाल टाकीज, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली की जगदम्बा मिष्ठान भण्डार की दुकान से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को जप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	तेल कंपनी का नाम	गैस सिलेण्डर का एस.आर.नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	आईओसीएल	3584375	16.5	20	3.5

इस प्रकार श्री आशीष मित्तल पुत्र श्री गिर्राज मित्तल, गोपाल टाकीज, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) एवं 4(क) एवं 5 एवं 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए जप्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय 3.5 किलो गैस को राजसात् किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा कभी भी अपनी दुकान पर घरेलू गैस सिलिण्डर का उपयोग नहीं किया गया है। अप्रार्थी की दुकान से जब्त

जिला कलक्टर
करौली

किया गया सिलेण्डर ईश्वर शर्मा निवासी जारेड़ा का था जो सिलेण्डर को रखकर यह कहते हुए बाजार चला गया था कि दो घण्टे बाद में अपने सिलेण्डर को वापिस ले जाऊंगा। यह सिलेण्डर लीकेज था जो दुकान के कोने में रखा हुआ था। यदि अप्रार्थी अपनी दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करता तो दुकान से चूल्हा या भट्टी व नली इत्यादि भी जब्त की जाती जो मौके पर लगी हुई नहीं थी। श्री शर्मा के बाजार से लौटने से पहले ही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सिलेण्डर को जब्त कर लिया गया। जवाब के साथ श्री ईश्वर शर्मा का शपथ पत्र संलग्न किया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौन ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान दिनांक 11.04.2018 को अप्रार्थी श्री आशीष मित्तल की जगदम्बा मिष्ठान भण्डार से सिलेण्डर को व्यावसायिक उपयोग करते हुए जब्त किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

अप्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थी द्वारा कभी भी अपनी दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया है और न ही वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की दुकान से चालू अवस्था में सिलेण्डर को जब्त किया गया है। यदि चालू अवस्था में सिलेण्डर जब्त किया जाता तो सिलेण्डर के साथ–साथ भट्टी या चूल्हा व नली भी जब्त की जाती। श्री ईश्वर शर्मा, निवासी जारेडा, अपने लीकेज सिलेण्डर को दो घण्टे बाद आकर वापिस ले जाने की कहकर अप्रार्थी की दुकान के कोने में रखकर निजी कार्य से बाजार चला गया जिसके लौटकर आने से पहले ही सिलेण्डर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्त कर लिया गया। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। ईश्वर शर्मा द्वारा सिलेण्डर का सुपुर्दगी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर को लीकेज एवं दुकान के कोने में रखा जाना बताया है जबकि लीकेज सिलेण्डर को दुकान में रखे जाने का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अप्रार्थी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 3.5 किलो राजसात् किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 3.5 किलो राजसात् किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ज़ब्तशुदा सिलेण्डर को संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर एवं सिलेण्डर की गैस 3.5 किलो की बाजार दर से बिक्री कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जाकर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट मय चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में लिख़वाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, करौली